सं. 010/वीजीएल/039
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन
जी.पी.ओ. काम्प्लैक्स, ब्लाक-ए
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 02 जून, 2010

परिपत्र संख्या 21/05/10

विषय : अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने में विलंब ।

मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन/केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा ठेकों/शिकायतों की गहन जांच के दौरान ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ देखा गया है जो कि ठेके में अस्पष्टता के कारण हो सकता है अथवा ठेके की विभिन्न धाराओं की गलत व्याख्या के कारण हुआ हो सकता हे । कुछ मामलों में वित्तीय समायोजन किए बिना ठेके की धाराओं अथवा विनिर्देशनों में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई, और इस प्रकार, ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया ।

2. ऐसे मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सामान्यत: दो प्रकार की कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है :-

(i) सतर्कता पहलू वाले अधिक भुगतान करने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों की पहचान करना ।
(ii) ठेकेदारों से ऐसे अधिक भुगतानों की वसूली करना ।

अनेक मामलों में इन वसूलियों से बचने के लिए ठेकेदार पंचाट का सहारा लेते हैं तथा साथ ही अधिकारियों को वसूली करने से रोकने के लिए भारी दावे प्रस्तुत करते हैं । ऐसे मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी, पंचाट के संदर्भ का कारण देकर अधिकारियों की पहचान करने की प्रक्रिया में विलंब करते हैं तथा संगठन भी ठेकेदार के पंचाट का संदर्भ देकर वसूलियां नहीं करते हैं ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :

(क) जब भी किसी अधिक भुगतान का पता लगता है तो, ठेके में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले अवसर पर ही उपलब्ध राशि में से ठेकेदार से इसकी वसूली कर ली जानी चाहिए, यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई स्टे नहीं दिया गया है ।

(ख) पंचाट के संदर्भ को अन्वेषण तथा दुराशय इरादों/सतर्कता पहलू वाली त्रुटियों/अधिक भुगतान के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की पहचान करने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए । अधिकारियों पर आरोप्य त्रुटियों के लिए उनकी पहचान करने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तुरन्त मामले का अन्वेषण करना चाहिए तथा प्रथम चरण की सलाह के लिए कोई विलंब किए बिना आयोग से सम्पर्क करना चाहिए ।

ह0/-

(वी.के. गुप्ता)
मुख्य तकनीकी परीक्षक